Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 अंक- 238 रायपुर, रविवार 21 सितंबर 2025 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

कल से बदलेंगी जीएसटी दरें, पीएम मोदी आज शाम 5 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित

नई दिल्ली, 21 सितंबर (न्यूज चैनल)। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसका समय हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 सुधारों के प्रभावी होने से ठीक एक दिन पहले है। इन नई जीएसटी दरों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता करना है, जबकि विलासिता वस्तुओं पर 40त्न का नया स्लैब लागू होगा। यह संबोधन भारत की आर्थिक दिशा में संभावित महत्वपूर्ण घोषणाओं का संकेत दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, रविवार, शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार, उनके संबोधन का उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि यह संबोधन हाल ही में घोषित जीएसटी दरों में कटौती के प्रभावी होने से एक दिन पहले हो रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दरों में बड़े बदलावों की घोषणा की थी, जो 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं। इन बदलावों को नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स या जीएसटी 2.0 का नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और आम जनता के लिए रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता करना है। इन बदलावों के तहत, जीएसटी के चार प्रमुख स्लैब (5प्रतिशत, 12प्रतिशत, 18प्रतिशत और 28प्रतिशत) को घटाकर दो मुख्य स्लैब (5प्रतिशत और 18प्रतिशत) कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 12त्न और 28त्न जीएसटी वाले सामानों को अब क्रमशः 5त्न और 18त्न के स्लैब में शामिल कर दिया गया है और विलासिता वाली वस्तुओं पर एक नया, 40त्न का स्लैब लागू किया गया है ताकि इनकी खपत को कम किया जा सके।

ओमान के राजदूत का बयानः भारत-ओमान के बीच जल्द होगा सीईपीए व्यापार समझौता, वार्ता पूरी

नई दिल्ली, 21 सितंबर (न्यूज चैनल)। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) जल्द ही हस्ताक्षरित होने वाला है। दोनों देश अपने व्यापार को ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़ाकर नए उत्पादों और सेवाओं तक ले जाने की तैयारी में हैं। यह जानकारी ओमान के भारत में राजदूत ईसा सालेह अब्दुल्ला सालेह अलशिबानी ने दी। ओमानी राजदूत ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में बताया कि समझौते से जुड़ी वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं और अब केवल कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा, %हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।%

भारत और ओमान के बीच सीईपीए को लेकर बातचीत नवंबर 2023 में शुरू हुई थी। इस समझौते में दोनों देश अधिकतम उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को कम या खत्म करते हैं, जिससे आयात-निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही, सेवा क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाया जाता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल किया जाता है। ओमान के राजदूत के अनुसार, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य व्यापार को ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़ाना है।

एसीबी की टीम ने कोयला कारोबारी के ठिकाने पर दी दबिश, सुबह से खंगाल रही है दस्तावेज

ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्थित शराब कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की

रायपुर/जांजगीर, 21 सितंबर (हाईवे चैनल)। रविवार को ईओडब्ल्यू के साथ एसीबी भी सक्रिय नजर आ रही है. एसीबी ने अकलतरा के अम्बेडकर चौक के पास स्थित कोयला व्यापारी के निवास पर छापा मारा है. सुबह से चल रही कार्रवाई में घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

कांग्रेस सरकार के दौरान सचिवालय में सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ रहे जयचंद कोसले के निवास पर सुबह डीएसपी अजितेश सिंह के नेतृत्व में एसीबी की टीम ने दबिश दी. बताया जा रहा है कि जयचंद कोसले का बेटा कोयले का कारोबार करता है. एसीबी की टीम घर में दस्तावेजों को खंगाल रही है. एक तरफ अकलतरा में जहां एसीबी ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में दबिश दी है, तो वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्थित शराब कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है. राजधानी में 3 से 4 ठिकानों पर दबिश दी गई है, जिसमें रायपुरा के शिव विहार कॉलोनी स्थित शराब कारोबारी अवधेश यादव का घर भी शामिल है।

दरअसल, राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों से मिलीभगत के बाद कुछ लोगों ने ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों से हर टन पर 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली गई. खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक द्वस समीर बिश्नोई ने ऑफलाइन करने का आदेश जारी किया गया था. कोल परिवहन के लिए कोल व्यापारियों को यह परमिट दिया जाता था. पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया. इसमें जो व्यापारी पैसे देता उसे ही खनिज विभाग से पीट और परिवहन पास जारी होता था, यह रकम 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से सूर्यकांत के कर्मचारियों के पास जमा होती थी. इस तरह से स्कैम कर कुल 570 करोड़ रुपए की वसूली की गई। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले की राशि को सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने में खर्च किया गया. साथ ही चुनावी खर्चों के लिए भी इस अवैध राशि का इस्तेमाल किया गया. आरोपियों ने इससे कई चल-अचल संपतियों को खरीदा।

ब्रेकिंग न्यूज

नदी में बहने से हाथी शावक की मौत

कोरबा, 21 सितंबर (हाईवे चैनल)। हसदेव नदी के किनारे झाड़ी में हाथी के शावक की लाश मिली है. बताया जा रहा है कि हाथी शावक नदी पार करने के दौरान बह गया था. सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने शव बरामद कर लिया है. जानकारी के अनुसार, कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज के पनगंवा में 54 हाथियों का दल विचरण कर रहा है. इस झुंड में उनके बच्चे भी हैं. इन्ही में से एक शावक के नदी पार करने के दौरान बहने की जानकारी है. वन टीम ने केंदई रेज के ओड़ार बहरा के पास हाथी शावक के शव को बरामद किया है. बताया जा रहा है कि नदी में बहकर शव यहां पहुंच गया है. रेंजर अभिषेक दुबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हसदेव नदी के बहाव के साथ बहकर शव के आने की संभावना है. उसकी मौत कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा. शुरुआती जांच में नदी पार करते समय पानी में बहने से होना माना जा रहा है. एक सप्ताह पहले ही सखोदा में हथिनी ने बच्चों को जन्म दिया था. इसके बाद 27 हाथियों का झुंड आगे बढ़ गया था।

जोजरी नदी में प्रदूषण के मामले पर 23 सितंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 21 सितंबर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। शीर्ष कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि नदी में औद्योगिक कचरे के बहाव से सैकड़ों गांवों की आबादी प्रभावित हो रही है। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 23 सितंबर की सूची में इस मामले का शीर्षक 20 लाख जिंदगियों को खतरा, राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण है।

स्कूल से लौटते वक्त बच्चों पर गिरी आकाशीय बिजली: एक की गई जान, दो की हालत गंभीर

सूरजपुर, 21 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। कुछ दिन पहले ही राजधानी रायपुर में एक स्कूली छात्र की मैदान में खेलते वक्त बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई थी। ऐसी ही एक घटना सूरजपुर जिले में हुई, जहां वज्रपात में स्कूली बच्चे की जान चली गयी। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब स्कूली बच्चा छुट्टी के बाद अपने घर लौट रहा था। सूरजपुर जिले के चांदनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विशालपुर निवासी छात्र 15 वर्षीय रंजीत सिंह पिता जगनाथ शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे अपने 2 साथियों सुनील कुमार पिता हरिशरण बैस और अनूप कुमार पिता रामदेव बैस के साथ स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। तीनों छात्र ठाड़पाथर-रेडीपहाड़ी मार्ग से गुजर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वे सडक़ किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी उसी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई और तीनों उसकी चपेट में आ गए। घटना में रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील और अनूप गंभीर रूप से झुलस गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर छात्रों को बाहर निकाला। एक छात्र की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी दो को गंभीर हालत में तत्काल बिहारपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने बताया कि दोनों छात्रों की स्थिति नाजुक है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफ़र किया जा सकता है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली के गिरने की घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं और सरकार समयङ्कसमय पर इससे बचाव के उपाय भी बताती है। वहीं मौसम विभाग भी समय से पहले छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में खुले मैदान या पेड़ के नीचे खड़े होना खतरनाक हो सकता है।

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, रात 10:59 बजे शुरू होगा ग्रहण

नई दिल्ली, 21 सितंबर (न्यूज चैनल)। आज 21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य लगने जा रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस महीने यह दूसरा ग्रहण होगा इससे पहले 07 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था। आज यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 10 बजकर 59 मिनट से शुरू होगा जो 22 सितंबर को तड़के 3 बजकर 32 मिनट तक चलेगा। यह ग्रहण रात में लगेगा जिसके कारण इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा।

चुनाव आयोग ने राज्यों को दिए निर्देशः एसआईआर को लेकर 30 सितंबर तक निपटाएं सभी काम

नई दिल्ली, 21 सितंबर (न्यूज चैनल)। चुनाव आयोग ने देशभर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि आयोग अक्तूबर-नवंबर से मतदाता सूची की सफाई और अपडेट करने की इस बड़ी कवायद की शुरुआत कर सकता है।

सूत्रों के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक में आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने 10 से 15 दिन में एसआईआर लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा था। हालांकि अब स्पष्ट डेडलाइन तय करते हुए 30 सितंबर को अंतिम तारीख घोषित किया गया है। सभी राज्यों को पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियां तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। कई राज्यों ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद की मतदाता सूची पहले ही वेबसाइट पर डाल दी है। दिल्ली के सीईओ की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची मौजूद है, जब राजधानी में आखिरी बार एसआईआर हुई थी। उत्तराखंड में 2006 की मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में 2003 की सूची को गहन पुनरीक्षण के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

एच-1बी ट्रंप का एक लाख डॉलर वीजा शुल्क नियम आज से लागू; व्हाइट हाउस ने दूर किया भ्रम

नई दिल्ली, 21 सितंबर (न्यूज चैनल)। अमेरिका आज से एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदकों से एक लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) शुल्क वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। नए नियम आज (अमेरिकी समयानुसार) यानि 21 सितंबर से लागू हो रहे हैं। ट्रंप सरकार के इस फैसले से प्रवासियों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि व्हाइट हाउस ने नए नियमों को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने शनिवार को स्पष्ट किया कि हाल ही में घोषित एक लाख डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा और यह वार्षिक शुल्क नहीं है। वहीं, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने भी स्पष्ट किया कि नया नियम केवल नए आवदेकों पर ही लागू होगा। यह स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वीजा फीस बढ़ाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आया है। यूएससीआईएस भी इस संबंध में एक्स पर पोस्ट कर नई जानकारी दी है। यूएससीआईएस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के नए एच-1बी वीजा नियम केवल नए, संभावित आवेदनों पर लागू होते हैं, जो अभी तक दायर नहीं किए गए हैं। 21 सितंबर, 2025 से पहले प्रस्तुत आवेदन प्रभावित नहीं होंगे।

अडानी पावर लिमिटेड पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़े का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

रायगढ़, 21 सितंबर (हाईवे चैनल)। अडानी प्रबंधन पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। जिले के ग्राम छोटे भंडार, तहसील पुसौर में अडानी पावर लिमिटेड पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर रायगढ़ को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए सीमांकन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कंपनी ने तालाब, नहर और अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। इसमें खसरा नंबर 54/4 (0.045 हेक्टेयर), खसरा नंबर 2/1 (0.227 हेक्टेयर) समेत कई हिस्से शामिल हैं। खसरा नंबर 482 को भी कंपनी के अवैध कब्जे में बताया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने सड़क और नहर मार्ग को भी बाधित किया है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा कंपनी द्वारा सीमांकन रिपोर्ट के बावजूद अवैध कब्ज़ा नहीं हटाया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि तत्काल कंपनी का अवैध कब्जा हटाया जाए। सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर भूमि को मुक्त कराया जाए। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाए।

कल से शारदीय नवरात्र होगा प्रारंभ, इस बार दस दिनों का होगा शारदीय नवरात्र पर्व

सुख शांति व समृद्धि के साथ हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

जिले में सैकड़ो स्थानों पर विराजित होगी मां दुर्गा की प्रतिमा

धमतरी 21 सितम्बर (हाईवे चैनल)। शारदीय नवरात्र कल से प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्र 9 के बजाए 10 दिनों का होगा। अलग अलग पंचाग किसी में तृतीया तो किसी में चतुर्थी तिथि दो दिन है। इसलिए नवरात्र पर्व इस बार नौ की बजाय दस दिनों का होगा। विप्र विद्वत परिषद मीडिया प्रभारी पंडित राजकुमार तिवारी ने बताया कि शारदीय नवरात्र बाइस सितंबर से शुरु हो रहा है। मां दुर्गा इस बार धरती में हाथी पर सवार होकर आएगी। जो कि सुख शांति व समृद्धि का प्रतीक है। 22 सितंबर को घट स्थापना होगी। 23 को द्वितीय तिथि, तृतीया तिथि दो दिन होने से 26 सितंबर को महापंचमी पूजा होगी। 30 सितंबर को महाअष्टमी एवं 1 अक्टूबर को महानवमी है। इस प्रकार इस बार नवरात्र दस दिनों का होगा। इसमें माता की भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। वही मूर्तिकार भी मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रुप देने जोर शोर से जुटे हुए है। साथ ही समितियां भी मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित करने भव्य पंडाल बनवा रहे है।

बता दे कि शहर के विभिन्न स्थानों सहित जिले भर में सैकड़ो स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाएगी। जिसके लिए शनिवार से ही मां दुर्गा के प्रतिमा के आगमन का दौर शुरु हो चुका है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को आकर्षक अंतिम रुप दे रहे है। पंडाल भव्यता के साथ सज चुके है। देवी मंदिरो में रंग रोगन लाईटिंग के साथ विशेष साज सज्जा की गई है। कल नवरात्र के प्रथम दिन शुभ मूहुर्त पर गोधुली बेला में ज्योति प्रज्वल्लित किये जाएगें।

छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन आरक्षण के निर्णय को दी गई चुनौती-

17 कैटेगरी में से सिर्फ 5 प्रकार की दिव्यांगता को ही मिल रहा आरक्षण का लाभ

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

बिलासपुर, 21 सितंबर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के बजाय राज्य सरकार द्वारा पुराने नियमों के तहत दिव्यांगजनों को आरक्षण देने के निर्णय को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका दायर करने वाले डॉ. रितेश तिवारी, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, आयुर्वेद स्नातक हैं और बीएल कैटेगरी में सरकारी नौकरी के लिए पात्र हैं। याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 1995 के अधिनियम के तहत केवल तीन कैटेगरी और पांच प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत कुल 17 कैटेगरी की दिव्यांगताओं को आरक्षण का अधिकार दिया गया है। इनमें बहु विकलांगता, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, एसिड अटैक विकलांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दृष्टिहीनता, बौनापन और अन्य शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार केवल पुराने अधिनियम के अनुसार पांच प्रकार की दिव्यांगता वाले लोगों को ही आरक्षण का लाभ दे रही है, जो कि संसद द्वारा पारित कानून का उल्लंघन है। अदालत को बताया गया कि राज्य में दिव्यांगजनों के लिए कमेटी का गठन नहीं किया गया है, पद चिन्हांकित नहीं किए गए हैं और आयु सीमा में छूट भी नहीं दी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला दिव्यांगजनों के संवैधानिक अधिकारों और उनके आरक्षण के हक़ को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को अब चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।